अधिसूचनाओं को सदन के पटल पर रखने में हुये विलम्ब का कारण।

संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन/राज्य कर अनुभाग–2 द्वारा निर्गत अधिसूचनाओं को समय से सदन के पटल पर रखे जाने में हुये विलम्ब का कारण "मुद्रित प्रतियॉ राजकीय मुद्रणालय से ससमय प्राप्त न होना है, जो कि प्रकियात्मक विलम्ब है।"

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री

narendra

क्रम-संख्या–24 (ङ)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०/91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 28 जनवरी, 2020

माघ 8, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग–2

संख्या 159/ग्यारह-2-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0नियमावली-2017-आदेश(92)-2020

लखनऊ, 28 जनवरी, 2020

अधिसूचना

प0आ0–38

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात् :–

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (चौतीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (चौतीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2020 कही जायेगी।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय यह गजट में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होगी।

नियम 48 में संशोधन

2– उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) में, नियम 48 में, उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :–

"(4) बीजक को सामान्य माल और सेवा कर इलेक्ट्रानिक पोर्टल पर इसमें अंतर्विष्ट सूचना को ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुये, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, अपलोड करके बीजक संदर्भ संख्या प्राप्त करने के पश्चात प्ररूप जीएसटी आईएनवी–01 में अंतर्विष्ट ऐसी विशिष्टियों को सम्मिलित करके, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग द्वारा तैयार किया जाएगा जो परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

(5) प्रत्येक बीजक, जो उस व्यक्ति द्वारा जिस पर उपनियम (4) लागू किया गया है, जिसको उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट रीति से भिन्न किसी रीति से जारी किया है, को बीजक नहीं माना जाएगा।

(6) उपनियम (1) और (2) के उपबंध उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट रीति से तैयार किए गए बीजक पर लागू नहीं होंगे।"

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 159/XI-2-9(42)-17-U.P. GST Rules-2017-Order(92)-2020, dated January 28, 2020:

No. 159/XI-2-9(42)-17-U.P. GST Rules-2017-Order(92)-2020

Dated Lucknow, January 28, 2020.

IN exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no.1 of 2017) *read* with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 namely:-

UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (THIRTY FOURTH AMENDMENT) RULES, 2020

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Thirty Fourth Amendment) Rules, 2020.

(2) Save as provided otherwise, they shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Amendment of rule 48

2. In the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 48, after sub-rule (3), the following sub-rules shall be *inserted*, namely :-

"(4) The invoice shall be prepared by such class of registered persons as may be notified by the Government, on the recommendations of the council, by including such particulars contained in FROM GST INV-01 after obtaining an invoice Reference Number by uploading information contained therein on the Common Goods and Services Tax Electronic Portal in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be specified in the notification.

(5) Every invoice issued by a person to whom sub-rule (4) applies in any manner other than the manner specified in the said sub-rule shall not be treated as an invoice.

(6) The provisions of sub-rules (1) and (2) shall not apply to an invoice prepared in the manner specified in sub-rule (4)."

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 690 राजपत्र–2020–(1578)–599 प्रतियां (क0/टी0/आ0)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 76 सा0 वित्त, कर एवं निबन्धन–2020–(1579)–3500 प्रतियां (क0/टी0/आ0)।

690 RPH sansthagat vitta kar evam ni.-2020-DATA-7